इकाई 21 दलितों की स्थिति

इकाई की रूपरेखा

21.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ लेने के बाद आप:

- दलितों के बारे में बता सकेंगे;
- उनकी कुल जनसंख्या और प्रतिशत बता सकेंगे;
- परंपरागत जाति क्रम-परंपरा में उनकी प्रस्थिति या हैसियत को समझ सकेंगे;
- उनके उत्थान के लिए हुए विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के बारे में जान सकेंगे; और
- संविधान में उनके हितों के लिए किए गए प्रावधानों के बारे में बता सकेंगे और उनकी स्थिति जान सकेंगे।

21.1 प्रस्तावना

इस इकाई का उद्देश्य यह समझना है कि दलित कौन हैं और समकालीन भारतीय समाज में उनकी स्थिति क्या है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनेक जातियों, उपजातियों, धार्मिक और जातीय संप्रदायों से बना भारतीय समाज अत्यधिक स्तरित रहा है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था, दलित जिसके अमूमन हिस्सा रहे हैं, वह जाति क्रम-परंपरा के आधार पर स्तरित है। इस व्यवस्था ने ऊंची जातियों और निम्न जातियों, पवित्र और अपवित्र जातियों में भेद खड़ा किया। बोलचाल की भाषा में जो लोग कभी अछूत, अस्पृश्य थे उन्हें ही आज हम दलित कहते हैं। भारतीय संविधान ने इन जातियों को अनुसूचित जाति की संज्ञा दी थी। मगर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन जातियों के लोगों को दलित कहना शुरू किया और आज लेखक और विद्वान सभी इसी शब्द को खूब प्रयोग करते हैं।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में 16.73 प्रतिशत अनुसूचित जातियां हैं। अनुसूचित जातियों की संख्या इन पांच राज्यों में अधिक है: उत्तर प्रदेश (21.44 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (11.77 प्रतिशत), बिहार (9.21 प्रतिशत), तमिलनाडू (7.84 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (7.76 प्रतिशत) अखिल भारतीय स्तर पर चमार और भंगी मुख्य दलित जातियां हैं। कुछ अनुसूचित जातियां अपने-अपने राज्यों में संख्या में अधिक हैं, जैसे महाराष्ट्र में महार और मंग, आंध्र में माला और मडीगा, पश्चिम बंगाल में नमोशूद्र, केरल में पुलायन।

21.2 परंपरागत जाति-क्रम परंपरा में दलितों की स्थिति

परंपरागत जाति-क्रम-परंपरा में दलितों का स्थान सबसे नीचे था। उन पर अनेक सामाजिक वर्जनाएं थोपी गई थीं। मंदिर में उनका प्रवेश वर्जित था। उन्हें गांव के बाहरी छोर पर रहना पड़ता था। सामाजिक वर्जनाएं अंचलों के अनुसार अलग-अलग थीं, मगर दक्षिणी राज्यों में वे अधिक कठोर थीं।

स्वतंत्रता के बाद संविधान ने दलितों को कई सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक अधिकार दिए। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत को अवैध करार दिया गया है। रूढ़िवादी जाति क्रम-परंपरा में दलितों को सबसे निम्न जाति का दर्जा दिया गया, सवर्ण हिन्दू ने उनका सामाजिक शोषण किया।

अभ्यास 1

जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों की सहायता से अपने गृह प्रदेश में दलितों की जनसंख्या का पता लगाने का प्रयास कीजिए। अपनी जानकारी को नोटबुक पर लिख लें।

बोध प्रश्न 1

1) निम्न में सही या गलत बताइए।
   - i) दलितों को निम्न जाति का कहा जाता है।
   - ii) दलितों का सिर्फ आर्थिक शोषण होता है।
   - iii) अनुसूचित जातियों को दलित कहा जाता है।

2) निम्न कथनों को पूरा कीजिए।
   - i) दलित समाज के .... पर हैं।
   - ii) दलितों की स्थिति .... है।

डा. बी. आर. अम्बेडकर ने दलितों के स्तर उत्थान के लिए कार्य किए।

साभार: किरणमई बुशी

भारतीय समाज जाति के आधार पर खंडों में बंटा हुआ है। उसमें व्यक्ति की हैसियत इस पर निर्भर करती है कि वह किस जाति में जन्मा है। वर्ण-व्यवस्था में सबसे छोटी जातियों को सामाजिक सोपान में सबसे नीचे रखा गया था। उन्हें अनेक जातिगत अशक्तताओं को सहना पड़ता था। उदाहरण के लिए आम रास्तों पर चलना उनके लिए वर्जित था, वे कुओं से पानी नहीं भर सकते थे, वे घाट का प्रयोग भी नहीं कर सकते थे। मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित था, वे शिक्षा अर्जन नहीं कर सकते थे। दासता उनकी नियति थी और उन्हें पवित्र जाति के लोगों से दूर रहना होता था।

दलितों को अपना जातिगत पेशा बदलने की अनुमति नहीं थी। ये अशक्तताएं या वर्जनाएं इस हद तक थी कि उन्हें गांवों और कस्बे के बाहरी छोरों पर ही बसने के लिए बाध्य किया जाता था। दस्तावेजों में इसका प्रमाण मिलता है कि महाराष्ट्र में मराठा और पेशवाओं के शासनकाल में महार और मंग जातियों के लिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे के बीच पूना शहर में प्रवेश निषिद्ध था क्योंकि उनकी छाया को अपकारी, अपवित्र माना जाता था।

बोध प्रश्न 2

1) संक्षेप में दलितों की अशक्तताओं के बारे में बताएं। तीन या चार पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

2) समाज सुधारकों के नाम बताइए।

....

....

....

....

....

21.3 सामाजिक-धार्मिक आंदोलन

छूआछूत और नाना प्रकार के अन्यायों के खिलाफ समाज सुधारकों ने पराधीन भारत में सामाजिक आंदोलन छेड़े। महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले (1827-1890) का सत्यशोधक आंदोलन, *छत्रपति* शाहू महाराज (1871-1922) का गैर-ब्राह्मणों का आंदोलन, महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे (1873-1944) का पददलित वर्ग मिशन आंदोलन और बाबासाहेब अम्बेडकर (1891-1956) का छूआछूत-विरोधी आंदोलन, केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, तमिलनाडू में 'पेरियार' रामास्वामी नाइकर का ब्राह्मण-विरोधी आंदोलन ये सभी सामाजिक आंदोलनों के उदाहरण हैं।

दलितों ने सभी प्रकार के शोषण के खिलाफ कई तरह से संघर्ष किया। वर्ण-व्यवस्था को दो कारकों ने गहराई से प्रभावित किया, उन्हीं से सामाजिक उथल-पुथल और दलितों में चेतना आई। इसमें पहला कारण था पश्चिमी विचारों और चिंतन की स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों का प्रभाव। इसके फलस्वरूप हिन्दू सामाजिक व्यवस्था का पारंपरिक

ताना-बना, जाति और अन्य संस्थाएं प्रभावित हुईं। दूसरा, ब्रिटिश प्रशासन ने कानून के सामने सभी को समान दर्जा दिया और आधुनिक प्रौद्योगिकी का सूत्रपात किया। इससे समाज सुधार के आंदोलनों के लिए आवश्यक बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण बना।

बॉक्स 21.01

ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने सभी जातियों के लिए समान विधि संहिता बनाई, आधुनिक संचार साधनों और शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे वर्ण-व्यवस्था कमजोर हुई। राजाराम मोहन राय ने बंगाल में सामाजिक और धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन छेड़ कर पुनर्जागरण का सूत्रपात किया। उन्होंने इसके लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। उधर पंजाब में आर्य समाज आंदोलन चला। इसी प्रकार महाराष्ट्र में जांबेकर और लोखितवाड़ी, न्यायमूर्ति एम.जी. रनाडे, भीमराव अम्बेडकर, आगरकर और भंडारकर ने समाज सुधार आंदोलन चलाए।

ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अ-ब्राह्मण जातियों को ब्राह्मणवाद के चंगुल से निकालना था। कोल्हापुर के शाहू महाराज ने भी 1912 में सत्य शोधक मंडल की स्थापना कर महात्मा फुले के आंदोलन को आगे बढ़ाया। स्वतंत्रता से पूर्व दलितों के आंदोलनों में महाराष्ट्र में ब्राह्मणवाद के खिलाफ अ-ब्राह्मणों के आंदोलन, तमिलनाडू में आदि द्रविड़ आंदोलन, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, तटीय आंध्र प्रदेश में आदि आंध्र आंदोलन, मुख्य थे। महात्मा फुले ने एक नया आस्तिकतावादी धर्म स्थापित करने की कोशिश की। पेरियार ने नास्तिकावाद की पैरवी की। कुछ आंदोलनों में सुधारवादी रुझान भी थे। बारहवीं सदी में महात्मा बसेश्वर ने कर्नाटक में जातिवाद के खिलाफ धर्म युद्ध चलाया था। उन्नीसवीं सदी के धार्मिक सुधारक भारत में आए ईसाई मिशनरियों से प्रभावित थे। ब्रह्म समाज (1828), प्रार्थना समाज (1867), रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज (1875) ये सभी उन संस्थाओं के उदाहरण हैं जिनकी स्थापना सवर्ण हिन्दुओं में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों से लड़ने के लिए की गई थी। अम्बेडकर ने बौद्ध-धर्म अपनाया। तमिलनाडू में अ-ब्राह्मण आंदोलन ने शैव धर्म को एक स्वतंत्र पहचान देने की कोशिश की, हालांकि अयप्पन ने मानवजाति के लिए किसी धर्म, किसी जाति और किसी भी ईश्वर की सत्ता को नहीं माना। इन सभी आंदोलनों ने दलितों की सामाजिक स्थिति को कुछ हद तक सुधारा।

बोध प्रश्न 3

1) निम्न कथनों को पूरा कीजिए।

   i) .... ने समान विधि संहिता लागू की।

   ii) सत्य शोधक आंदोलन .... ने आरंभ किया था।

   iii) .... ने मानवजाति के लिए किसी धर्म, जाति और ईश्वर की सत्ता को नहीं माना।

2) बताइए कौन सही या गलत है।

   क) अंग्रेजों ने भारत में धार्मिक आंदोलन शुरू किए।

   ख) डा. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अखिल भारतीय स्तर पर समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया था।

   ग) ब्रह्म समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी।

21.4 संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान के खंड IV में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसका अनुच्छेद 15(2) कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान

के आधार पर किसी तरह का भेदभाव (क) दुकानों, रेस्ताराओं, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में प्रवेश (ख) कुओं, टंकी, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक विश्राम स्थलों के प्रयोग को लेकर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।

बाक्स 21.02

संविधान के अनुच्छेद 16(1) के अनुसार सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 330 और 332 में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्रों को स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिला पाने के लिए आरक्षण की सुविधा दी गई है। उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान भी किया गया है। इन सभी संवैधानिक प्रावधानों ने विभिन्न अनुसूचित जाति समूहों के लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करने में बड़ी सहायता की है। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय समाज के लोकाचार में भी भारी परिवर्तन आया है। ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा दलितों के लिए बड़ी उपयोगी साबित हुई है, वे भी अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए सचेतन प्रयास कर रहे हैं। शैक्षिक संस्थाएं दलित समुदायों के व्यक्तियों को गतिशीलता का अचूक अवसर प्रदान करती हैं। शिक्षा के बिना सरकारी नौकरियों में आरक्षण समेत सभी संवैधानिक प्रावधान निरर्थक हैं। इसी प्रकार सरकारी आरक्षण नीति ने भी दलितों के उत्थान में बड़ी महती भूमिका अदा की है। इस नीति के तहत दलितों को उनकी आबादी के अनुपात में सरकारी सेवाओं और उन सभी सस्थाओं में उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जो संस्थाएं सरकारी अनुदान से चल रही हैं।

अभ्यास 2

आप जिस इलाके में रहते हैं वहां के लोगों का आरक्षण पर जमीनी नजरिया क्या है? इस बारे में लोगों के विचार जानें और अपनी नोटबुक में लिख लें।

21.5 सामाजिक गतिशीलता पर आरक्षण का प्रभाव

आरक्षण नीति शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उद्यमशीलता इत्यादि क्षेत्रों में दलितों के उत्थान की युक्ति है। मगर शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में यह नीति प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं हुई है। जिन दलितों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ मिला है, वे अपेक्षतया बेहतर स्थिति में हैं और वे एक नए मध्यम वर्ग के रूप में उभरे हैं। तमाम सवैधानिक उपायों के बावजूद जातिगत अत्याचार दलितों के जीवन का अभिन्न अंग हैं। जबसे दलितों ने अपने अधिकार के लिए लड़ना-बोलना शुरू किया है, तभी से ये अत्याचार उन पर ढाए जा रहे हैं। भारतीय समाज की वास्तविकता यही है कि जीवन के हर पहलू पर जाति हावी है और वर्ण-व्यवस्था का दलित ही सबसे बड़ा शिकार हैं, हालांकि उन्हें भी अन्य लोगों की तरह इसी के साथ जीना है।

बोध प्रश्न 4

1) संविधान के अनुच्छेद 330 के बारे में तीन-चार पंक्तियां लिखिए।

....

....

....

....

2) आरक्षण नीति के लाभ संक्षेप में बताइए।

....

....

....

....

21.6 सारांश

इस इकाई में आपने जाना कि दलित कौन हैं और परंपरागत जाति-क्रम-परंपरा में उनका जीवन कैसा रहा है। हमने इसमें भारत के विभिन्न अंचलों में हुए सामाजिक-धार्मिक आंदोलनों के बारे में भी बताया। इसके बाद हमने दलितों के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बताया। आरक्षण नीति दलितों के जीवन स्तर को सुधारने में आंशिक रूप से सहायक रही है, जिसके फलस्वरूप दलितों में एक नया मध्यम वर्ग उभरा है। इन तमाम प्रावधानों के बावजूद सवर्ण जातियां दलितों पर नित्यप्रति अत्याचार कर रही हैं।

21.7 शब्दावली

दलित : अनुसूचित जातियों के लिए आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला शब्द।

सामाजिक-धार्मिक आंदोलन : ये दलितों के सामाजिक और धार्मिक उत्थान और समाज में समानता लाने के लिए चलाए गए थे

संविधान : स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने वाला दस्तावेज।

21.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

ओमवेट गेल, 1994, *दलित्स एंड डेमोक्रैटिक रिवोलुशन*, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली

आमवेट गेल, 1976, *कल्चरल रिवॉल्ट इन ए कोलोनियल सोसाइटी*, साइंटिफिक सोशलिस्ट एजुकेशन ट्रस्ट, बंबई

भारत का संविधान

भारत की जनगणना 1991

21.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) i) सही ii) गलत iii) सही

2) i) सबसे नीचे ii) निम्न

बोध प्रश्न 2

1) दलितों की अशक्तताएं इस तरह की थीं कि वे सार्वजनिक सड़कों, कुओं का प्रयोग नहीं कर सकते थे, वे मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, वे स्कूल नहीं पढ़ सकते थे। इन वर्जनाओं का उल्लंघन करने पर उन्हें कठोर दंड दिया जाता था।

2) राजाराम मोहन राय, महात्मा ज्योतिबा फुले, डा. बाबासाहेब अम्बेडकर, एम.जी. रनाडे, जी.एच. देशमुख, महात्मा गांधी, शाहू महाराज

बोध प्रश्न 3

1) i) ब्रिटिश ii) महात्मा ज्योतिबा फुले iii) अयप्पन iv) पेरियार

बोध प्रश्न 4

1) संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है।

2) आरक्षण नीति का लाभ, दलितों को शिक्षा, रोजगार और राजनीति के क्षेत्र में मिल रहा है। शिक्षा संस्थानों में दलित छात्रों के लिए सीटें आरक्षित रखी जाती हैं और उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इस नीति के तहत रोजगार में उन्हें आरक्षण दिया जाता है।